प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज, मण्डल,अलीगढ

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांकः 2885 / डीसीए / अनुमति / दिनांकः– 21-5–2019

विषयः :– जनपद गाजियाबाद के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हेतु ग्राम गालन्द व पिपलहेड़ा में प्रस्तावित सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के लिए चिन्हित भूमि के पहुँच मार्ग हेतु सिंचाई विभाग की भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

21/VC 22-05-19

सन्दर्भ – आपका पत्र संख्या 82V/12/भू0अ0अ0/2019/दिनांकः 23.01.2019

महोदया,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, मुख्य अभियन्ता(गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ के पत्रांक 5378/मुअगं/एन0ओ0सी0/दिनांक 09.05.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपके पत्र संख्या 82अ/12/भू0अ0अ0/2019/दिनांकः 23.01.2019 द्वारा की गई वांछना एवं अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर के पत्रांकः 451/बुखगंनबु/दिनांकः 30.01.2019 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जनपद गाजियाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व्यवस्था हेतु ग्राम गालन्द व पिपलहेडा में प्रस्तावित सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के लिए चिन्हित भूमि के पहुँच मार्ग हेतु सिचाई विभाग की भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

CE

1– सडक निर्माण के दौरान नहर के आन्तरिक अनुभाग को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायगी एवं झाड़ झुण्ड आदि सफाई कर नहर के आन्तरिक अनुभाग में नहीं डाले जायेगें। सड़क निर्माण के दौरान नहर के आन्तरिक अनुभाग को यदि कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति धनराशि आपके द्वारा विभाग में जमा कराई जायेगी।

Kushw VC 22/5/19

2– नहर के किनारे पेड काटने की अनुमति वन विभाग से आपको स्वयं प्राप्त करनी होगी।

3– सडंक निर्माण की ड्राईग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

4– सड़क निर्माण हेतु पटरी का लेवल सही किया जायेगा। पूर्व निर्मित बैकों को नीचा नहीं किया जायेगा एवं लेवल सही करने हेतु मिटटी को अन्यत्र स्थान से लाया जायेगा। नहर के आन्तरिक अनुभाग से एवं स्लोप से मिटटी उठाने की अनुमति नहीं होगी तथा उक्त रीच में पटरी का स्लोप एवं डोला को सही कराना होगा।

5– वर्षा काल के दौरान जल भराव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होती हैं अथवा नहर की रिमोडलिंग/सैक्शन सुधार आदि कार्यो हेतु सड़क समाप्त करनी पड़ती होती है तो सड़क की पुर्नस्थापना हेतु सिंचाई विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। मरम्मत का कार्य सम्बन्धित विभाग को स्वयं अपने खर्चे पर कराना होगा।

EE-5

6– सड़क निर्माण से पूर्व खण्ड के अधिशासी अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को अवगत कराना होगा एवं उनके निर्देशन में ही कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

CE

7– भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग का ही रहेगा एवं अन्य किसी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

22/5/19
मानवेन्द्र कुमार सिंह
अधिशासी अभियन्ता
जोन-5

Scanned with CamScanner

8– उच्चाधिकारियों से विपरीत आदेश प्राप्त होने की दशा में उक्त अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

21/5/19

अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़

अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़

पत्रांकः   /डीसीए/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– मुख्य अभियन्ता(गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ के पत्रांक 5378/मुअगं/एन0ओ0सी0/दिनांक 09.05..2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में ।

2– अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर को उनके पत्रांकः 451/बुखगंनबु/दिनांकः 30.01.2019 के कम में।

अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़

22/5/19
अधिशासी अभियन्ता
जोन-5

Scanned with CamScanner